न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0157/2013 तारीख रजू:– 23.10.2013

पीठासीन अधिकारी :– अनूपसिंह

R.A.S.

1. पृथ्वी पुत्र परशुराम
2. निहालसिंह पुत्र रामश्री
3. खुशालसिंह पुत्र बच्चूसिंह

जाति सभी धाकड निवासी बयाना मोड हिण्डौन तहसील हिण्डौन ———————— सायलान

बनाम

1. दी स्टेट ऑफ राजस्थान तामील जरिये जिला कलक्टर करौली
2. तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) तहसील हिण्डौन जिला करौली
3. चरणसिंह पुत्र बृजलाल
4. दीनदयाल पुत्र बृजलाल
5. हरीसिंह पुत्र बृजलाल

जाति सभी धाकड निवासी खरैटा रोड गुम्मट प्रहलाद कुण्ड के पास हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली

6. मनीराम
7. किशन
8. कमल
9. बच्चूसिंह
10. मानसिंह
11. यादराम पुत्र रजोले

पिसरान नन्दराम पुत्र रजोले जाति सभी धाकड निवासी खरैटा रोड गुम्मट,प्रहलाद कुण्ड के पास हिण्डौन जिला करौली ———————— गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्रसिंह जादौन एडवोकेट सायलान

2. श्री पुरूषोत्तमलाल गोयल एडवोकेट गैरसायल सं03ता 5

3. श्री अशोकसिंह बैंसला एडवोकेट गैरसायल सं06ता 10

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 16:00:36 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय [illegible]

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में [illegible] ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र [illegible]मद नं01 में दर्ज किया है कि सायलान ने गैरसायलान के विरूद्ध दावा हाजा बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती,घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश कर दिया है, जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी पूरी सम्भावना है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि साबिक खसरा नम्बर 5437 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा स्थित ग्राम हिण्डौन तहसील हिण्डौन गैरसायल सं0 3 लगायत 11 की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी रही है। उक्त आराजी भूमि को गैरसायल सं0 3 ता 11 द्वारा आपस में बंटवारा कर विभाजित कर लिया था, जिसके अनुसार गैरसायल सं03 लगायत 5 की खातेदारी कब्जे में उक्त खसरा नम्बर 5437 का 2 बीघा 2 बिस्वा रकबा दक्षिण तरफ वाला खसरा नम्बर 5437/1 एवं गैरसायल सं0 6 लगायत 10 के हिस्से में 1 बीघा रकबा उत्तर पश्चिमी तरफ वाला खसरा नम्बर 5437/3 एवं प्रतिवादी सं0 11 के हिस्से में 1 बीघा 1 बिस्वा रकबा उत्तर पूर्वी तरफ वाला खसरा नम्बर 5437/2 आया था जिसे उक्त गैरसायल 3 लगायत 11 अपने अपने हिस्से पर फसल काश्त कर लाभान्वित होते चले आ रहे थे।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि गैरसायल सं03 द्वारा अपने खातेदारी व कब्जे की आराजी साबिक खसरा नम्बर 5437/1 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा का अपना 1/3 हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 15.03.1990 को सायलान निहालसिंह पुत्र रामश्री को 15500/– रूपया में विक्रय कर कब्जे में दिया। गैरसायल सं04 द्वारा भी अपनी खातेदारी व कब्जे की आराजी साबिक खसरा नम्बर 5437/1 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा का अपना 1/3 हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 15.03.1990 को सायलान पृथ्वी पुत्र परशुराम को 15500/–रूपया में विक्रय कर कब्जे में दिया, इसी प्रकार गैरसायल सं05 द्वारा अपने खातेदारी व कब्जे की आराजी साबिक खसरा नम्बर 5437/1 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा का अपना 1/3 हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 15.03.1990 को सायलान खुशाल सिंह पुत्र बच्चूसिंह को 15500/–रूपया में विक्रय कर कब्जे में दिया। इस प्रकार गैरसायल सं03 ता 5 की खातेदारी कब्जे की साबिक खसरा नं0 5437/1 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि सायलान के कब्जे, स्वामित्व में दिनांक 15.03.1990 से बदस्तूर आजदिन तक चली आ रही। सायलान अपनी उक्त खरीदशुदा भूमि पर वहैसियत मालिक काबिज व दखील रहकर फसल काश्त कर लाभान्वित होते चले आ रहे हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि सायलान उक्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 5437/1 की सम्पूर्ण रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि को खरीदकर कब्जे में लेकर उक्त आराजी भूमि को [illegible] के लिए पृथक पृथक रूप से प्रार्थना पत्र प्रतिवादी सं0 2 के [illegible] पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 03.07.1990 को [illegible] सायलान को शीघ्र ही उनके हक में [illegible] रिकार्ड करने का आश्वासन देकर प्रार्थना पत्र व विक्रय पत्र अपने पास रख लिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 16:00:36 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि [illegible] 1990 में तहसील हिण्डौन में सेटिलमेन्ट का कार्य प्रारम्भ हो गया था इसलिए सम्बत् 2040 के पश्चात समस्त राजस्व रिकार्ड सेटिलमेन्ट विभाग को भेज दिया गया था।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि सेटिलमेन्ट ऑपरेशन के दौरान साबिक आराजी खसरा नम्बर 5437 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा के 3 खसरा नम्बर 7491 रकबा 0.25 है0, 7492 रकबा 0.47 है0, 7528 रकबा 0.25 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.97 है0 गलत तौर पर कायम किया और मिलान क्षेत्रफल भी वगैर साबिक रिकार्ड का अवलोकन किये कायम किया गया है। सेटिलमेन्ट विभाग वालों ने गलत तौर पर सायलान की खरीदशुदा कब्जे काश्त व मालिकाना हक की साबिक आराजी खसरा नम्बर 5437/1 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा को गलत तौर पर राजस्व रिकार्ड में हाल खसरा नम्बर 7528 रकबा 0.25 है0 कायम कर दर्शाया है जबकि मौके पर योम खरीद के दिन से सायलान हाल खसरा नम्बर 7492 की भूमि पर काबिज व दखील है लेकिन सेटिलमेन्ट विभाग वालों ने उक्त खसरा नम्बर 7492 का रकबा भी 0.53 है0 की बजाय 0.47 है0 गलत तौर पर कायम कर प्रतिवादी सं011 की खातेदारी में दर्ज कर दिया है जबकि गैरसायल सं011 की खातेदारी के साबिक खसरा नम्बर 5437/2 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा से बने नवीन खसरा नम्बर 7528 को गलत तौर पर सायलान की भूमि के साबिक मालिक 3 लगायत 5 की खातेदारी में दर्ज कर दिया है। इसी प्रकार गैरसायल सं06 लगायत 10 की खातेदारी व कब्जे की साबिक आराजी खसरा नम्बर 5437 रकबा 1 बीघा में साबिक खसरा नम्बर 5444 की 2 बिस्वा भूमि को सम्मलित करते हुए हाल खसरा नम्बर 7491 रकबा 0.28 है0 0.01 है0 भूमि खसरा नम्बर 5437/2 को सम्मलित करते हुए गलत तौर पर खातेदारी में दर्ज कर दिया है। इस प्रकार सेटिलमेन्ट ऑपरेशन के दौरान सेटिलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों ने अपनी गफलत लापरवाही व दुराचरन के कारण सायलान के स्वामित्व, कब्जे की भूमि साबिक खसरा नम्बर 5437/1 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अन्य लोगों के नाम दर्ज कर दी है और मौके के विरूद्ध भूमि का रकबा भी कम कर दिया है। जिसके कारण सायलान के विधिक अधिकारों का हनन हो रहा है।

प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि वर्तमान में सायलान का हाल खसरा नम्बर 7492 के रकबा 0.53 है0 पर मौके पर कब्जा है। सायलान ने उक्त आराजी साबिक खातेदारान से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा खरीदकर कब्जे में ली है इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्टया केस बखूवी साबित है। उक्त आराजी में सायलान ने इस वर्ष फसल बाजरा काश्त कर दरोह की है।

प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि सायलान को सेटिलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिकार्ड में की गयी [illegible], गलती की जानकारी पटवारी हल्का से मिलने पर दिनांक 01.07.20[illegible] को उ[illegible]मय हुई जब सायलान द्वारा हल्का पटवारी से गैरसायल सं0 6 ता [illegible] अपने हक में करवाये पंजीकृत विक्रय पत्रों दिनांक 15.03.1990 के आधार पर राजस्व रिकार्ड का अपने हक में अमल होने की जानकारी की, इस पर पटवारी [illegible]का द्वारा सायलान को बताया कि सेटिलमेन्ट विभाग वालों ने आपके द्वारा खरीद किये गये साबिक खसरा नम्बर 5437/1 के रकबे को हाल रिकार्ड में कम दर्ज करके खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 16:00:36 IST
Reason: SelfAttested

दीगर लोगों के नाम कर दी है, इस बात का नोट भी आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 03.07.1990 पर ततसमय दर्ज किया हुआ है और आप अपने प्रार्थना पत्र व असल पंजीकृत विक्रय विलेख ले जाओ और पहले रिकार्ड को दुरूस्त करवाओ तभी तुम्हारे नाम राजस्व रिकार्ड में अमल किये जावेंगे। इस पर सायलान गैरसायल सं02 से जाकर मिले और राजस्व रिकार्ड में किये गये गलत अंकन को दुरूस्त करने के लिए अनेक बार निवेदन किया, लेकिन उन्होंने इस सम्बन्ध में न तो कोई कार्यवाही की, ना ही राजस्व रिकार्ड में कोई दुरूस्ती की। सायलान पुनः दिनांक 29.07.2013 को गैरसायल सं02 के कार्यालय में उपस्थित हुए और सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा की गयी गलती को दुरूस्त करने के लिए निवेदन किया तो उन्होंने उक्त भूल को दुरूस्त करने की बजाय राजस्व बाद दायर करने के लिए मौखिक रूप से निर्देशित किया।

प्रार्थना पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि गैरसायल सं03 ता 11 का सेटिलमेन्ट ऑपरेशन के दौरान, सेटिलमेन्ट ऑपरेशन के कर्मचारियों की गफलत, लापरवाही एवं दुराचरन के कारण सायलान के कब्जे मालिकाना हक की भूमि हाल खसरा नम्बर 7492 रकबा 0.47 है0 की खातेदारी गैरसायल सं011 के नाम एवं गैरसायल सं011 की खातेदारी व कब्जे की भूमि के हाल खसरा नम्बर 7528 रकबा 0.25 है0 की खातेदारी गैरसायल सं03 ता 5 के नाम एवं गैरसायल सं011 की खातेदारी की 0.01 है0 भूमि की खातेदारी गैरसायल सं0 6 ता 10 के हाल खसरा नम्बर 7491 में दर्ज रिकार्ड हो गयी है। प्रतिवादीगण राजस्व रिकार्ड के उक्त गलत अंकन का बेजा फायदा उठाकर सायलान के कब्जे मालिकाना हक की भूमि को अन्य दीगर लोगों को रहन वय कर अन्तरण करने पर उतारू हैं। सायलान द्वारा गैरसायल सं03 ता 11 के मना करन पर गैरसायलान ने दिनांक 29.07.2013 को यह ऐलानियॉ धमकी दी कि साबिक खसरा नम्बर 5437/1 के 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि के रकबे की खातेदारी भी उनके नाम दर्ज हो गयी है इसलिए वे उक्त भूमि को अब शीघ्र ही अन्य लोगों को रहन वय कर अन्तरण कर उक्त भूमि से सायलान को बेदखल करेंगे और नवीन क्रेतागण को सायलान की भूमि पर कब्जा करवा देंगे। यदि गैरसायल स03 ता 11 द्वारा सायलान की भूमि को दीगर लोगों को रहन वय कर सायलान को बेदखल कर नवीन क्रेतागण का कब्जा करा दिया तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं011 में दर्ज किया है [illegible] दित आराजी खसरा नम्बर 7492 पर वर्तमान में यौम [illegible] कब्जा है जिसे गैरसायलान को बेकब्जा करने का कोई विधिक [illegible] नहीं है सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर नि[illegible]न किया है कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से दौराने दावा इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि दौराने दावा गैरसायलान साबिक खसरा नम्बर 5437 रकबा 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 16:00:36 IST
Reason: SelfAttested

बीघा 3 बिस्वा से बने नवीन खसरा नम्बर 7492 रकबा 0.47 है0, (वास्तविक रकबा 0.53 है0), खसरा नम्बर 7528 रकबा 0.25 है0, व खसरा नम्बर 7491 रकबा 0.28 है0 के रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत रखें, सायलान के खसरा नम्बर 7492 रकबा 0.47 है0 (वास्तविक रकबा 0.53 है0) स्थित कस्बा हिण्डौन पर सायलान के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में कोई व्यवधान स्वंय या अपने प्रतिनिधि के जरिये पैदा नहीं करें एवं उक्त आराजी को रहन वय कर अन्तरण नहीं करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायल सं03,4,5 की ओर से श्री पुरूषोत्तमलाल गोयल एडवोकेट के द्वारा पूर्व में पेश किये गये बकालतनामा को दिनांक 16.10.2015 को रिकार्ड पर लिया गया तथा दिनांक 16.10.2015 को गैरसायल सं01,2,10,11 बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 16.07.2018 को गैरसायल सं06 लगायत 10 की ओर से श्री अशोकसिंह बैंसला एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा एवं जबाव प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 लगायत 5 को स्वीकार किया है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं06 में गैरसायल सं06 लगायत 10 की खातेदारी व कब्जे की साबिक आराजी खसरा नम्बर 5437 रकबा 1 बीघा में साबिक खसरा नम्बर 5444 की 2 बिस्वा भूमि को सम्मलित करते हुए हाल खसरा नम्बर 7491 रकबा 0.28 है0 भूमि सही तौर पर दर्ज की है। शेष तथ्य स्वीकार हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं07 स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं08 लाइल्मी, अस्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं09 में गैरसायल सं011 की खातेदारी की 0.01 है0 भूमि गैरसायल सं0 6 ता 10 के हाल खसरा नम्बर 7491 में दर्ज रिकार्ड होना स्वीकार नहीं है, शेष तथ्य स्वीकार हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं010 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं0 10 कानूनी है, मोहताज जबाव नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं011 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं011 स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं012 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं012 कानूनी हैं।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र सायलान भूमि खसरा नम्बर 7491 से सम्बन्धित अनुतोष के अलावा व पक्ष सायलान स्वीकार करने पर गैरसायल सं0 6 ता 10 को कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 16:00:36 IST
Reason: SelfAttested

सायलान ने दिनांक 17.09.2019 को प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि मुकदमा हाजा में भूमि खसरा नम्बर 7491 रकबा 0.28 है0 कस्बा हिण्डौन के सम्बन्ध में वादीगण व प्रतिवादी सं0 6 ता 10 के बीच लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है, सायलान अपने उक्त प्रार्थना पत्र में उक्त खसरा नम्बर 7491 के सम्बन्ध में न्यायालय से कोई अनुतोष प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, अन्तरिम स्थगन को भी उक्त खसरे की हद तक आगे बढाया जाना नहीं चाहते हैं। उक्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक 28.08.2019 को आदेश जारी किये गये कि सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 7491 रकबा 0.28 है0 पर दिनांक 23.10.2017 से जारी स्थगन आदेश समाप्त किया जाता है।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2037–40 किता 3, फोटो प्रति प्रार्थना पत्र रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण भरकर तस्दीक करने के क्रम में दिनांक 03.07.1990 प्रार्थी निहालसिंह पुत्र रामश्री धाकड निवासी हिण्डौन, फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.03.1990 उनवानी चरणसिंह बहक निहालसिंह, फोटो प्रति प्रार्थना पत्र रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण भरकर तस्दीक करने के क्रम में दिनांक 03.07.1990 प्रार्थी पृथ्वी पुत्र परसराम धाकड निवासी हिण्डौन, फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.03.1990 उनवानी दीनदयाल बहक पृथ्वी, फोटो प्रति प्रार्थना पत्र रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण भरकर तस्दीक करने के क्रम में दिनांक 03.07.1990 प्रार्थी खुशालसिंह पुत्र बच्चसिंह नावालिग जरिये बच्चूसिंह पुत्र आनन्दीलाल धाकड निवासी हिण्डौन, फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.03.1990 उनवानी हरीसिंह बहक खुशालसिंह, फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल किता–2, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2067– 70 किता–3, फोटो प्रति नकल नक्शा ट्रेस हाल नम्बरान, पेश की है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायल सं03 ता 5 ने सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 16:00:36 IST
Reason: SelfAttested

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2037–40 के [illegible] खसरा नम्बर 5437/1 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम हिण्डौन की खातेदारी बृजलाल पुत्र नथुआ जाति धाकड निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 3022 नि0दिं0 21.05.1986 के अनुसार बृजलाल के फौत हो जाने के बाद उसके उत्तराधिकार हरीसिंह चरणसिंह दीनदयाल पि0 बृजलाल के नाम खातेदारी स्वीकार है।

नकल जमाबन्दी सं0 2037–40 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 5437/2 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम हिण्डौन की खातेदारी यादराम पुत्र रजोल जाति धाकड निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2037–40 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 5437/3 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम हिण्डौन की खातेदारी नन्दराम पुत्र रजोल जाति धाकड निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.03.1990 उनवानी चरणसिंह बहक निहालसिंह के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 5437/1 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा कस्बा हिण्डौन में विकेता चरणसिंह पुत्र बृजलाल जाति धाकड निवासी हिण्डौन ने अपने सम्पूर्ण हिस्सा 1/3 भाग की भूमि का विक्रय केता निहालसिंह पुत्र रामश्री जाति धाकड निवासी हिण्डौन के हक में किया गया तथा कब्जा बाकई मौके पर केता निहालसिंह को संभलाना भी अंकित किया है।

फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.03.1990 उनवानी दीनदयाल बहक पृथ्वी के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 5437/1 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा कस्बा हिण्डौन में विकेता दीनदयाल पुत्र बृजलाल जाति धाकड निवासी हिण्डौन ने अपने सम्पूर्ण हिस्सा 1/3 भाग की भूमि का विक्रय केता पृथ्वी पुत्र परसराम जाति धाकड निवासी हिण्डौन के हक में किया गया तथा कब्जा बाकई मौके पर केता निहालसिंह को संभलाना भी अंकित किया है।

फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.03.1990 उनवानी हरीसिंह बहक खुशालसिंह के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 5437/1 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा कस्बा हिण्डौन में विकेता हरीसिंह पुत्र बृजलाल जाति धाकड निवासी हिण्डौन ने अपने सम्पूर्ण हिस्सा 1/3 भाग की भूमि का विक्रय केता खुशालसिंह पुत्र बच्चूसिंह जाति धाकड निवासी हिण्डौन नावालिग जरिये बच्चूसिंह पुत्र आनन्दीलाल जाति धाकड निवासी हिण्डौन पिता खुद के हक में किया गया तथा कब्जा बाकई मौके पर केता निहालसिंह को संभलाना भी अंकित किया है।

फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नम्बर से नवीन खसरा नम्बरान दौराने सेटिलमेन्ट निम्नानुसार कायम किये गये हैं।

साबिक खसरा नं0	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
5444 5437 मिन	2 बिस्वा	7491	0.28 है0
5437 मिन	1 बीघा 1 बिस्वा	7492	0.25 है0
5437 मिन	2 बीघा 2 बिस्वा	7528	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 16:00:36 IST
Reason: SelfAttested

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2067– 70 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 7491 रकबा 0.28 है0 की खातेदारी मनीराम किशन कमल बच्चूसिंह पि0 नन्दराम हि0 86/90हि0ब0 चन्दन रेशम लक्ष्मी भगवानदेई पुत्री नंदराम हि0ब0हि04/90 जाति धाकड निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड

है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 3545 नि0दिं0 08.07.2010 – हकत्याग से चन्दन रेशम लक्ष्मी भगवानदेई पुत्रियॉ नन्दराम हि0 4/90 के बजाय मनीराम किशन कमल बच्चूसिंह पि0 नन्दराम हि0 4/90 स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2067– 70 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 7492 रकबा 0.47 है0 वाके कस्बा हिण्डौन की खातेदारी यादराम पुत्र रजोले जाति धाकड निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2067– 70 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 7528 रकबा 0.25 है0 कस्बा हिण्डौन की खातेदारी हरिसिंह चरणसिंह पि0 बृजलाल हि02/3, दीनदयाल पुत्र बृजलाल हि01/3 जाति धाकड निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 7528 रकबा 0.25 है0 कस्बा हिण्डौन की खातेदारी हरिसिंह चरणसिंह पि0 बृजलाल हि02/3, दीनदयाल पुत्र बृजलाल हि01/3 जाति धाकड निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है जबकि हरिसिंह चरणसिंह दीनदयाल के द्वारा विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 5437/2 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा कस्बा हिण्डौन का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सायलान के हक में बेचान सन् 1990 में ही बेचान किया जा चुका है किन्तु सायलान के हक में हुए रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं अर्थात रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के आधार पर नामान्तकरण नहीं खुले। इस प्रकार विवादित आराजी खसरा नम्बर 7528 रकबा 0.25 है0 कस्बा हिण्डौन की खातेदारी हरिसिंह चरणसिंह पि0 बृजलाल हि02/3, दीनदयाल पुत्र बृजलाल हि01/3 जाति धाकड निवासी ग्राम खातेदार के नाम गलत रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा सायलान ने साबिक खसरा नम्बर 5437/2 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा कस्बा हिण्डौन भूमि खरीद की है। किन्तु सेटिलमेन्ट विभाग ने हाल खसरा नम्बर 7492 रकबा 0.47 है0 कस्बा हिण्डौन की खातेदारी यादराम पुत्र रजोले जाति धाकड निवासी हिण्डौन के नाम दर्ज कर दी है। पक्षकारान के अधिकार दावे में तय होने हैं ऐसी स्थिति में विवादित आराजी खसरा नम्बर 7528 रकबा 0.25 है0, 7492 रकबा 0.47 है0 कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इस प्रकार सायलान का प्राइमाफेसी केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने से उसे कोई क्षति किसी प्रकार की होने की कोई सम्भावना नहीं है। ऐसी स्थिति में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 16:00:36 IST
Reason: SelfAttested

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजीयात आराजी खसरा नम्बर 7528 रकबा 0.25 है0, 7492 रकबा 0.47 है0 कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। सायलान को उनके हिस्से के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना तो स्वंय करें ना ही किसी अन्य से करावें। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक ..... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 16:00:36 IST
Reason: SelfAttested